न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या पुराना 19 / 2020 नया खाता संख्या 80 / 2023

वाद दायरी दिनांक :— 14.02.2020

आदर्शराज पुत्र स्व. श्री राजकुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड सख्या 19 मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. महादेव पुत्र श्री नानगराम जाति जाट निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
2. रूकमणी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
3. रतनी देवी पुत्री श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
4. धापा देवी पुत्री श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
5. सुशीला देवी पुत्री श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
6. नेकीराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
7. भंवरलाल पुत्र श्रीरामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
8. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री राजकुमार निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
9. शालिनीराज पुत्री स्व. श्री राजकुमार निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू ।
10. तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता रू—

1. श्री अशोक कुमार शर्मा वादी की ओर से।

वाद बाबत घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ०धा० 88,188 आर टी एक्ट

निर्णय

दिनांक रू 08.05.2025

माननीय न्यायालय भू— प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 27.10.2025 के द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 13.09.2021 को अपास्त करते हुए प्रकरण न्यालय हाजा को प्रतिप्रेषित कर वाद में [illegible]ात कायम कर पक्षकरों से साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । वादी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की संयुक्त खातेदारी के कब्जा काश्त सुदा खेत खसरा नम्बर 63 रकबा 0.1800 हैक्टेयर व खसरा संख्या 64 रकबा 0.7600 हैक्टेयर कुल रकबा 0.9400 हैक्टेयर वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू स्थित है उक्त खेताय के साविका खसरा संख्या 29/2 है उक्त खेताय पर टिनेसी एक्ट लागू होने के पूर्व से ही वादी के परदादा स्व. मिरजाराम पुत्र श्री मोती जी का कब्जा काश्त रहता चला आया है उनके देहान्त के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 9 का कब्जा काश्त निरन्तर चला आया है। उक्त खेताय पर वर वक्त टिनेसी एक्ट लागू होने से पूर्व ही वादी एवं उनके पूर्वजों का कब्जा कास्त होने के बावजूद भी इन खेताय की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा मूलवंश दर्ज कर दिया गया। जब कि प्रतिवादी संख्या महादेव पुत्र श्री नानगराम जाट माग का कोई व्यक्ति पिछले 70 वर्षों से ग्राम मण्डावा में निवास करता था। फिर भी राजस्य कर्मचारियों ने बिना कब्जे कास्त के प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 एवं उनके पूर्वजों का कब्जा कास्त उक्त विवादित खेताय पर वर वका टिनेंसी एक्ट लागू होने के समय से ही बला आया होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 9 बाई ओपेरेशन ऑफ लॉ स्वत ही उक्त विवादित खेताय के खातेदार कास्तकार हो चुके है किन्तु फिर भी राजस्व अधिकारियों द्वारा विवादित खेताय की जानकारी अभी तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 तथा उनके पूर्वज के नाम दर्ज नहीं करने से वादी को विवादित खेताय की घोषणा हेतु उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआं है जिसके लिए यह वाद पेश है। विवादित खेत खसरा संख्या 63 व 64 पर पिछले 65–70 वर्षों से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 तथा इनके पूर्वजों का कब्जा कास्त लगातार बिना किसी रोक टोक के रहता चला आया है इस कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से बाई एडवर्ज पजेशन भी विवादित खेताय के स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो चुके है इस कारण बाई एडवर्ज पजेशन भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को विवादित खेताय की खातेदारी घोषित किये जाने हेतु उक्त वाद पेश है। बिनाय वाद बहक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 10 विवादित खेताय पर वादी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा कास्त वर वक्त टीनेसी एक्ट तहत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 स्वतः खातेदार काश्तकार हो जाने एवं पिछले 65–70 वर्षों से बिना किसी रोकटोक के विवादित खेताय पर काबिज रहते चले आने से बाई एडवर्ज पजेशन भी खातेदार काश्तकार हो जाने के बावजूद भी अभी तक प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 को खातेदार दर्ज नहीं किये जाने के कारण समय पर बेमुकाम मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू उत्पन्न हुआ है। उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब देही तल किया गया। प्रतिवादीगण 2 लगायत 9 के द्वारा जवाब दावा पेश किया कि मुताबिक वाद की प्रार्थना के दावा डिकी कर दिये जाने पर प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 9 को कोई आपति नहीं होना अपने जवाब दावा में अंकित किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात वाद में वर्णित तथ्यों के बाबत रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार ने अपने अपने पत्र कमाक राजस्व/2021/951 दिनांक 09.04.2021 के द्वारा रिपोर्ट पेश की कि वाद पत्र में खत्तरा नम्बर 63 64 किता 2 रकबा 0.94 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में महादेव पुत्र नानगराम जाति जाट सा०देह खातेदार उप कृषक रामचन्द्र पिता मिर्जाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित ने बताया कि उक्त भूमि पिछले काफी वर्षों से रामचन्द्र का कब्जा काश्त चला आ रहा था। रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में उक्त भूमि पर इनके वारिसान का कब्जा काश्त बताते हुए रिपोर्ट पेश की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारा पर बगौर मनन किया गया। खसरा गिरदावरी 2016 में रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा मीरजा पुत्र जीवण द्वारा काश्त दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2017 से 2020 में मीरजा पुत्र जीवण 3 बीघा 14 विश्वा में उपकृषक दर्ज है व खसरा गिरदावरी 2021 से 2024 में मीरजा पुत्र मोती उप कृषक दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 से 2036 में रामचन्द्र पुत्र मिरजा नागर उप कृषक दर्ज होना स्पष्ट है। न्यायिक दृष्टांतों में राजस्थान उच्च न्यायालय एंव रेवेन्यू कार्ट द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि यदि किसी व्यक्ति का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के समय अर्थात सम्वत 2012 में किसी कृपि भूमि पर साबित कर दिया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व व उक्त भूमि को काश्त करता रहा है तो इस आधार पर उसे भूमि के खातेदार अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जो धारा 15 की श्रेणी में आता है। उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता है। वादी द्वारा मिसल बंदोबस्त एवं सम्वत 2012–15 की जमाबंदी भी पेश की गई है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व में कब्जा काश्त साबित हो रहा है। इस प्रकार वादी का वाद पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों से सिद्ध होता है उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित है।

निर्णय

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम मण्डावा ख.न. 0.18 हैक्टर व ख. न. 64 रकबा 0.76 हैक्टर में दर्ज खातेदार महादेव पुत्र नानगराम का नाम हजफ किया जाता है हजफ हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी न0 08 व 09 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 02 लगायत 07 को बराबर 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। मिसल दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती एव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या पुराना 19/2020नया खाता संख्या 80/2023 उनवान आर्दशराज बनाम महादेव वगैरह

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 08.05.2025 के द्वारा वाद वादी स्वीकार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । वाके ग्राम मण्डावा ख.न. 0.18 हैक्टर व ख.न. 64 रकबा 0.76 हैक्टर में दर्ज खातेदार महादेव पुत्र नानगराम का नाम हजफ किया जाता है हजफ हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी न0 08 व 09 को 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी न0 02 लगायत 07 को बराबर 1/7—1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार मिसल दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा